भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 38

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः 'एग्रीश्योर' निधि

***38. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि-स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों की सहायता के लिए 'एग्रीश्योर' निधि के अंतर्गत किन-किन विशिष्ट उद्देश्यों और क्षेत्रों को लक्षित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की यह किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है कि इस निधि के माध्यम से नवोन्मेषी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन मिले;

(ग) क्या इस निधि के तहत सहायता हेतु आवेदन करने के लिए तेलंगाना जैसे व्यापक ग्रामीण और कृषि पृष्ठभूमि वाले राज्यों में स्टार्टअप्स के लिए कोई विशिष्ट मानदंड या प्रोत्साहन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“एग्रीश्योर' निधि” के संबंध में पूछे गए दिनांक 04 फरवरी, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य इक्विटी और ऋण के रूप में पूंजी सहायता प्रदान कर प्रारंभिक चरण के कृषि-स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में इनोवेशन को बढ़ावा देना, उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), सटीक खेती, जलवायु के अनुकूल समाधान और डिजिटल कृषि जैसी तकनीकों को इन क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हुए उन्नत बनाना शामिल है। यह किसानों की बाजार पहुंच में सुधार और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की गतिविधियों का भी समर्थन करेगा। लक्षित क्षेत्रों में, कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि मशीनीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा सहकारी और किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का विकास शामिल हैं। चूंकि फंड का उद्देश्य सटीक खेती, ए.आई. एप्लिकेशन्स और स्वचालित खेती जैसी उन्नत पद्धतियों का समर्थन करना और अपशिष्ट/अवशेष प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी में निवेश की सुविधा प्रदान करना है इसलिए यह पर्यावरण और सततता के लक्ष्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देगा।

(ग) और (घ): इस फंड के तहत स्टार्टअप्स के लिए मानदंड या सहायता पूरे देश में एक जैसी है। स्टार्ट-अप को फंड मैनेजर नामतः मेसर्स नैबवेंचर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

*****